कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

:: आदेश ::

सूरजपुर, दिनांक 23/04/2020

क्रमांक/ 64 /वाचक/2020

कार्यालयीन आदेश दिनांक 23.3.2020, 29.3.2020 एवं 22.04.2020 के माध्यम से कोरोना वायरस के संक्रमण एवं रोकथाम हेतु लॉकडाउन के दौरान जिले में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थाओं के खुलने एवं बंद होने के संबंध में शासन के आदेशानुसार समय–समय पर आदेश जारी किया गया है। अतः इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अनुक्रम में सभी निर्देशों को समेकित एवं स्पष्ट करते हुए निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है एवं निम्नानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खोलने की अनुमति प्रदान की जाती है–

क्रमांक	संस्थान/दुकानों का विवरण	खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	मेडिकल स्टोर्स, मेडिकल उपकरण की बिक्री व रिपेयर, मेडिकल के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं	सामान्य रूप से पूर्ववत् खुलने एवं बंद होने का समय रहेगा, परन्तु दुकानदार एवं ग्राहक दोनो के लिए सोशल डिस्टेंस मेनटेन करने की शर्त रहेगी। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति मास्क, रूमाल अथवा गमछा से मुंह एवं नाक ढके रहेगें। इसकी अवहेलना किसी भी स्थिति में न की जावे।
2	सभी प्रकार के हॉस्पीटल, लैब	
3	राईस मिल	
4	पेट्रोल पंप, गैस सिलेण्डर वितरक एजेंसी	
5	सब्जी, फलों की दुकानें	
6	बैंक एटीएम	
7	प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया	
8	प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, आई.टी. रिपेयर (स्वतः कार्य करने वाले व्यक्ति)	
9	डी.टी.एच. एवं केबल टीवी सेवाएं	
10	राशन दुकानें (पी.डी.एस.)	
11	फूड प्रोसेसिंग (केवल ग्रामीण क्षेत्रों में)	
12	हाईवे ढ़ाबे (TAKE AWAY मात्र सेवा प्रदान करेंगें।)	

निम्नानुसार दुकानों एवं संस्थानों के लिए समक्ष में उल्लेखित समय अनुसार समय सीमा निर्धारित की जाती है–

क्रमांक	संस्थान/दुकानों का विवरण	खुलने एवं बंद होने का समय/स्थिति
1	खाद बीज, पेस्टीसाईड्स की दुकानें, कृषि यंत्रों की दुकानें, कृषि उपकरणों के रिपेयर्स शॉप्स	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
2	अनाज मंडी, सब्जी मण्डी	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
3	आटा तेल, दाल मिल्स	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
4	पंचर टायर की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
5	हरा चारा, टाल, पशु आहार की दुकानें, PET SHOPS & AQUARIUM (पालतू पशुओं को खाना खिलाने व पालतू पशु के आहार विक्रय हं)	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।

Scanned by CamScanner

6	ऑप्टीकल्स	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
7	किराना दुकानें, अनाज, खाद्य के पैकेजिंग से संबंधित सेवाएं	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
8	वाटर केन की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
9	गोदाम वेयरहाउस (नगरीय सीमा क्षेत्र के बाहर)	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
10	बेकरी की दुकानें (केवल होम डिलेवरी)	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
11	डेयरी, दूध पनीर की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक एवं शाम 5.00 से शाम 7.00 बजे तक।
12	चिकन, मटन, मछली अण्डा की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
13	स्टेशनरी की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
14	बीमा सेवाएं, बीमा कम्पनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, सहकारी ऋण सोसायटियां	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
15	बिजली के पंखे की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
16	इलेक्ट्रीकल्स,प्लमबिंग की दुकाने, आटोमोबाईल्स टायर एवं पार्ट्स की दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।
17	सीमेंट, सरिया दुकानें	सुबह 9.00 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक।

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 61/वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 14.4.2020 की शर्तें यथावत रहेगीं।

शासन द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ 1–26/2020/17–1 दिनांक 13.3.2020 के अंतर्गत उल्लेख है कि किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा जारी उक्त पत्रान्तर्गत कोरोना वायरस के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अन्तर्गत आता है। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा शासन के निर्देशों का उल्लंघन नहीं किया जावेगा।

यह आदेश सम्पूर्ण जिला सूरजपुर सीमा क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभावशील होगा, जो दिनांक 3.5.2020 बजे तक या आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

(दीपक सोनी)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

पृष्ठांकन क्रमांक/ 64A /वाचक/2020 सूरजपुर, दिनांक 23.04.2020

प्रतिलिपि,

1. आयुक्त, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज, अम्बिकापुर को सादर सूचनार्थ।
3. पुलिस अधीक्षक सूरजपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सूरजपुर/भैयाथान/प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. उप संचालक, जनसंपर्क सूरजपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों को प्रकाशनार्थ प्रेषित।
6. सर्व तहसीलदार, जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

District Ma... * Surajpur

Scanned by CamScanner

7. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत जिला–सूरजपुर को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला–सूरजपुर (छ.ग.)

District Magistrate * Surajpur (C.G.) *

Scanned by CamScanner